प्रेस नोट

दिनांक 13.11.2024, थाना खरगूपुर

जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-265/24, धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त- 01. सत्यराम पुत्र राजितराम उर्फ साधु मौर्या निवासी ग्राम रुपईडीह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गोकरणनाथ शिवाला चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.11.2024 को वादिनी द्वारा थाना खरगूपुर पर सूचना दिया गया की मेरे पति का बहराईच मार्ग पर पठानाजोत स्थित ढाबा है। ट्रक ड्राइवर सत्यराम मौर्या पुत्र राजित राम मौर्य होटल के सामने ट्रक रोककर क्लीनर के साथ चाय नास्ता करने लगे तथा वही दोने शराब भी पीने लगे वादिनी के पति द्वारा शराब पीने से मना करने पर गाली गुप्ता देने लगे। ड्राइवर द्वारा वादिनी के पति के उपर ट्रक चढा दिया जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-265/24, धारा 105 बीएनएस बनाम सत्यराम मौर्य(ट्रक ड्राइवर) आदि 02 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 13.11.2024 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त -01. सत्यराम पुत्र राजितराम उर्फ साधु मौर्या निवासी ग्राम रुपईडीह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गोकरणनाथ शिवाला चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सत्यराम पुत्र राजितराम उर्फ साधु मौर्या निवासी ग्राम रुपईडीह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-265/24, धारा 105 बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मृत्युंजय सिंह
02. का0 रविशंकर खरवार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 13.11.2024, थाना नवाबगंज

जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 315/2024 धारा 80(2), 85, 351(3) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्ता 01. श्रीमती बड़का पत्नी जगप्रसाद निवासी ग्राम महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.09.2024 को वादिनी द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 315/2024 धारा 80(2), 85, 351(3) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम अभिषेक आदि 04 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त 01. दर्शन लाल पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम मजहनपुरवा मौजा नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 13.11.2024 को अभियुक्ता श्रीमती बड़का पत्नी जगप्रसाद निवासी ग्राम महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. श्रीमती बड़का पत्नी जगप्रसाद निवासी ग्राम महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 315/2024 धारा 80(2), 85, 351(3) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि०विजय प्रकाश
02. का0 सुमित
03 म0का0 चांदनी देवी

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>अपराध गोष्ठी</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गई सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश-

अपराध गोष्ठी के दौरान थाना प्रभारियों को महिला पुलिस बीट बनाने, वांछित, वारंटी व इनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी, शातिर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगस्टर की कार्यवाही तथा कानून एवं शांति व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिनांक 14.11.2024 को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ सैनिक सम्मेलन/अपराध गोष्ठी की गई। जिसका मुख्य विषय कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण रहा। महोदय द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा अपराध गोष्ठी कर दिनांक 10.09.2024 से 10 दिवस चलाये गए विवेचना निस्तारण विशेष अभियान के तहत थानावार विवेचनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। तथा लंबित चल रही विवेचनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी कर विवेचनाओं के लंबित रखने का कारण जानते हुए विवेचनाओं की स्थिति में आ रही परेशानियों के बारे जाना तथा गुण दोष के आधार पर जल्द से जल्द विवेचनाओं के निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा लंबित विवेचनाओं विशेषकर अनावरित अभियोगो के निस्तारण तथा इनामिया, जिलाबदर अभियुक्तों की जानकारी हासिल की गयी तथा गैंगेस्टर के प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 14(1) के तहत कितने प्रकरणों में सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही तथा कितने अपराधियों के विरूद्ध एच0एस0 खोले गए, कितने अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी व कितने गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी के बारे में समीक्षा की गयी। मुकदमों से संबंधित केस डायरी, आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में समय से दाखिल कराने व समय से सम्मन, वारण्ट, कुर्की नोटिस तामिला कराने आदि के निर्देश दिए गये। महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को ज्यादा से ज्यादा थानें पर रहकर जनसुनवाई कर पीड़ित फरियादियों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुनने व उनका तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा शांति एंव कानून व्यवस्था के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजार, कस्बा, चैराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष सतर्कता रखने हेतु निर्देशित किया गया। मादक पदार्थो की तस्करी व अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए साथ ही नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु कस्बा व ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी करने, बैंक व लेनदेन वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ-साथ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने हेतु निर्देशित किया गया तथा पीआरवी

वाहनों की सक्रियता बढ़ाए जाने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाये रखने हेतु बताया गया। महोदय द्वारा जनपद में घटित घटनाओं पर उनकी वीडियोग्राफी, पैनल के साथ पोस्टमार्टम की वीडियोंग्राफी करने हेतु फॉरेंसिक टीम को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर पेडिंग प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया तथा यह भी बताया गया कि समस्त थाना प्रभारी यह सुनिश्चित कर ले कि अपने-अपने थाना क्षेत्र की दो-तीन बीटो को मिलाकर एक महिला पुलिस बीट बनायी जाये। जिसमें कम से कम दो महिला पुलिस कर्मियों की अनिवार्यता नियुक्ति की जाए। महिला पुलिस बीट द्वारा महिला सम्बन्धी प्रकरणों में पीड़ित परिवार से मिलकर उनका फीडबैक लेना सुनिश्चित करेंगी। महोदय द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि महिला सुरक्षा अभियान की समीक्षा करेंगे तथा एण्टी रोमियों एवं मिशन शक्ति टीम के साथ स्कूलों/कालेजो में जाकर जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे। यातायात माह नवम्बर 2024 को शुभारम्भ हो चुका है सभी यातायात नियमों का पालन करे तथा आम जनमानस को वाहन चलाते समय यातायात नियमो का पालन करने हेतु जागरूक करे। महोदय द्वारा यातायात प्रभारी को जनपद में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ करने हेतु निर्देशित किया गया

वर्ष 2024 में अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 101 अभियुक्तों के विरुद्ध 28 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं तथा 72 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। गैंगस्टर एक्ट के 04 प्रकरणों में अपराध से अर्जित की गयी 83,02,729/- रू0 की सम्पत्ति जब्त की गयी है। 180 व्यक्तियों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी तथा अपराधियों पर शिंकजा कसने के लिए अब तक 14 सक्रिय गिरोह के ऊपर गैंग पंजीकरण’ की कार्यवाही की गयी जिससे इन गिरोह की हमेशा निगरानी की जा सके।

इस अवसर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, निरीक्षक प्रज्ञान, पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/शाखा प्रभारी व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 13.11.2024, थाना को0नगर

जनपद गोण्डा।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (150 ग्राम अवैध गांजा) के साथ अभियुक्त राजू कुमार पुत्र स्व0 राम गोपाल निवासी ग्राम बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को चुंगीनाका निकट कटहाघाट मोड़ के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0नगर में मु0अ0स0- 861/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.11.2024 को थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि चुंगीनाका निकट कटहाघाट मोड़ के पास अवैध गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (150 ग्राम अवैध गाँजा) बरामद कर अभियुक्त राजू कुमार पुत्र स्व0 रामगोपाल निवासी ग्राम बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0नगर में मु0अ0स0- 861/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजू कुमार पुत्र स्व0 राम गोपाल निवासी ग्राम बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 861/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 150 ग्राम गाँजा(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता
02. का0 सुरेश कुमार
03. का0 वीरेन्द्र वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा